http://www.developindiagroup.co.in/

बी.पी.एस.सी.

64वीं बिहार राज्य सिविल सेवा
मुख्य परीक्षा 2018–19

पूर्णतः अद्यतन एवं संशोधित अध्ययन सामग्री

सामान्य अध्ययन

प्रश्नपत्र – 2

(भाग – 1, 2, 3)

Prepared by

Develop India Group

भारतीय राजव्यवस्था

भारतीय संविधान की विशेषताएं

संविधान देश का आधारभूत कानून है, जो सरकार के विभिन्न अंगों के विषय में वर्णन करता है। संविधान वह दस्तावेज है जिसमें उन मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है जिसके अनुरूप किसी देश के शासन का संचालन किया जाता है। भारत का संविधान 26 नवंबर, 1949 को स्वीकार हुआ। संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया। भारतीय संविधान की विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

1. **विश्व का सबसे लंबा संविधान :** भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा, लिखित संविधान है। इसके वृहद् होने के लिए अनेक कारण उत्तरदायी हैं। प्रथम, भारत के संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम, 1935 तथा नेहरू रिपोर्ट पर आधारित है। यह अधिनियम एक वृहद् अधिनियम था, जिसमें 321 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूची शामिल थीं। द्वितीय, भारत के संविधान में संघ और राज्यों दोनों से सम्बंधित प्रावधानों को शामिल किया गया है। तृतीय, भारत की विशालता एवं विविधता ने इसके विशाल होने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चतुर्थ, भविष्य में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का पूर्वानुमान कर आवश्यक उपाय संविधान में शामिल किए गए हैं जो सामान्यतः अन्य अधिनियमों व नियमों द्वारा वर्णित किए जाते हैं। जेनिंग्स ने 'भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है'। क्योंकि संविधान का वृहद् प्रारूप मुकदमेबाजी के नए दरवाजे खोलता है और वकीलों को नई व्याख्या करने का अवसर देता है।
2. **गृहीत संविधान :** भारत के संविधान पर विश्व के प्रमुख संविधानों की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। डा. अम्बेडकर ने गर्व के साथ घोषणा की थी कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के तमाम संविधानों के अध्ययन के बाद किया गया है। संविधान का लगभग 2/3 भाग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 और नेहरू रिपोर्ट से लिया गया है। कार्यपालिका तथा विधायिका के सम्बंध को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संविधान की उद्देशिका, मूल अधिकार, न्यायपालिका का स्वरूप, न्यायाधीशों को हटाने की पद्धति, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत इत्यादि अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से और समवर्ती सूची की अवधारणा को आस्ट्रेलिया से लिया गया। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां जर्मनी के वाइमर संविधान से ली गई हैं। संविधान के कई अन्य प्रावधान कनाडा, यूएसएसआर, फ्रांस, जापान, आयरलैंड इत्यादि देशों के संविधान से लिए गए हैं। अतः कहा जा सकता है कि भारत का संविधान, पश्चिमी देशों के संविधानों से अपनाए गए सिद्धांतों का सम्मिश्रण है। इसीलिए भारतीय संविधान को 'उधार का थैला' कहा गया है, लेकिन यह कहना पूर्णतया तार्किक नहीं है क्योंकि संविधान निर्माताओं ने दूसरे देशों से लिए गए प्रावधानों में भारतीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन किए और इनकी विसंगतियों को भी दूर किया।
3. **संघीय व्यवस्था :** भारत का संविधान संघीय है, जिसमें संघ व राज्यों की शक्तियों को संविधान द्वारा स्पष्टतः विभाजित किया गया है। संघ व राज्यों में अलग–अलग सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका इत्यादि संघीय व्यवस्था के लक्षण संविधान में विद्यमान हैं। संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं, जो एकात्मक संविधान के लक्षण हैं, जैसे – शक्तिशाली केंद्र, एकल संविधान, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान, कुछ अवसरों पर संसद की राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की शक्ति इत्यादि। इसलिए के.सी. व्हीयर ने भारतीय संविधान

Develop India Group

को अर्द्धसंघात्मक संविधान कहा है। जेनिंग्स ने कहा है कि भारत एक ऐसा संघ है, जिसमें केंद्रीयकरण की तीव्र प्रवृत्ति पाई जाती है।

भारत की संघीय व्यवस्था में संघ, राज्यों की अपेक्षा शक्तिशाली है और संविधान में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है लेकिन भारतीय संविधान को एकात्मक की श्रेणी में नहीं रख सकते, क्योंकि भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था में पाई जाने वाली यह नवीनताएं उन परिस्थितियों की देन हैं, जिनसे इस संघ का निर्माण हुआ।

4. **लचीला और कठोरता का समन्वय :** भारत का संविधान न तो लचीला है और न ही कठोर बल्कि यह दोनों का मिश्रण है। संविधान के कुछ प्रावधानों में संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। कुछ प्रावधान में संशोधन संसद के विशेष बहुमत द्वारा और अन्य में सामान्य बहुमत के द्वारा किया जाता है।
5. **संसदीय व्यवस्था :** भारतीय संविधान में ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति नाममात्र का प्रमुख होता है और वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद् के हाथों में होती है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के द्वारा मंत्रिपरिषद् बनाई जाती है, जो कि अपने कार्यों के लिए लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इस प्रकार संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण हो जाती है।
6. **स्वतंत्र न्यायपालिका :** भारत के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनकी पदमुक्ति, कार्यावधि और सेवाशर्तों के बारे में संविधान में स्पष्ट व विस्तृत प्रावधान किए गए हैं, जिससे न्यायपालिका स्वतंत्र तथा निष्पक्ष रूप से कार्य कर सके। भारत की न्याय व्यवस्था में उच्चतम न्यायालय शीर्ष पर है। इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन उन्हें हटाने के लिए कठोर प्रक्रिया वर्णित की गई है। न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते उनके कार्यकाल के दौरान घटाए नहीं जा सकते। राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय हैं। राज्यों में उच्च न्यायालय के नीचे अधीनस्थ न्यायालय हैं।
7. **मूल अधिकार एवं मूल कर्त्तव्य :** संविधान के तीसरे भाग में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। यह अधिकार कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कार्यों पर निरोधक की तरह काम करते हैं। यदि इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उच्चतम और उच्च न्यायालयों के द्वारा इन्हें लागू किया जा सकता है। इन अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण जैसी रिटें जारी कर सकता है। संविधान में दिए गए इन मूल अधिकारों में समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार समाहित हैं। संसद संविधान संशोधन के माध्यम से इनमें परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 20–21 में दिए मूल अधिकार को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के समय स्थगित किया जा सकता है।

   भारत के संविधान में 42वें संशोधन द्वारा भाग 4 ए जोड़कर मूल कर्त्तव्यों का समावेश किया गया। मूल कर्त्तव्य नागरिकों को अपने देश, समाज और अन्य नागरिकों के प्रति कुछ जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए मार्ग दर्शन प्रदान करते हैं।
8. **राज्य के नीति–निदेशक सिद्धांत :** संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति–निदेशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है। इनका प्रमुख कार्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है और 'कल्याणकारी राज्य' की स्थापना करना है। ये सिद्धांत समाज के बहुमुखी विकास के लिए कुछ आदर्शों का निर्धारण करते हैं। इन्हें मूल अधिकारों की तरह कानूनी रूप से लागू तो नहीं कर सकते, लेकिन इन्हें लागू करना राज्यों का नैतिक कर्त्तव्य है।
9. **न्यायिक पुनरावलोकन :** भारत का संविधान संसद को कानून बनाने और संविधान संशोधन की शक्ति देता है। संसद इन शक्तियों का दुरुपयोग न करे इसके लिए संविधान में न्यायपालिका को विशेष शक्ति

Develop India Group